

साकल-चन्द्र कौर

बनाम

लक्ष्मण कौर

मुकदमा नं. 88 P.T. Act 136 of Act 1956

नं. 17/2018 सत्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

01-6-18

पत्रावली दर्ज रजिस्टार होकर पेश है।
प्रतिवादीगणों को तलब हेतु सामान्य जारी
क्रिया जाकर पत्रावली दि: 26-6-18 को पेश की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

26-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत थिचिरे
जवाब पर प्रस्तुत हुई। पत्रावली में वादी
समस्त स्वीकार्यता से वाद विद्वी करती का
प्रार्थना पर पेश किया गया। वादी द्वारा
कहा गया कि मेरा नाम राजस्व रेकार्ड में
खाता सं. 202, 81, 82, 203 में नाम हैकर
पिता बदा दर्ज था जिसकी सुधी हो
चुकी है और अब मेरा नाम हुकम के
बजाय साकल-चन्द्र पिता बदा हो गया
है। मेरी समस्त का समाधान हो चुका है।
और मैं मेरा वाद में कोई कामवही नहीं
चाहता हूँ। वाद विद्वी करना चाहता हूँ।
वादी का वाद विद्वी प्रार्थना पर स्वीकार
किया जा रहा है। वाद निर्णय खुले आमतौर
में सुनाया गया। पत्रावली के ताल सुमा
होकर नम्बर की काम है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा, जि. उदयपुर